न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
पीठासीन अधिकारी– सुदर्शन सिंह तोमर

क0 सं0	प्रा0पत्रसं0	GCMS NO.	दर्ज दिनांक	उनवान	निर्णय दिनांक	कुल पृष्ठ
1	39/24	2024/93	18.11.2024	सरकार बनाम दिनेश	26.02.2026	1 लगायत4

पीठासीन अधिकारी :– सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 39/2024 (2024/93)

उनवान प्रकरण

1. वेद प्रकाश पूर्विया (खाद्य सुरक्षा अधिकारी) कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर। —आवेदक

बनाम

1. दिनेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री हरिप्रसाद गुप्ता निवासी पिपलाई तह बामानवास, जिला गंगापुरसिटी (फर्म मालिक) मैसर्स श्री दातार, ऑयल एण्ड फ्लोर मिल. मेन रोड, पिपलाई, तह बामनवास, जिला गंगापुर सिटी 322214 —अभियुक्त

<u>जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (1)/51 एफएसएस एक्ट 2006 एवं नियम 2011</u>

प्रकरण में तथ्य इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, राज्य सरकार द्वारा चलाये जा रहे अभियान शुद्ध आहार मिलावट पर वार अन्तर्गत दिनांक 27.08.2024 को 02:00 पी.एम पर मैसर्स श्री दातार, ऑयल एण्ड फ्लोर मिल, मेन रोड, पिपलाई, तह. बामनवास, जिला गंगापुर की निर्माण इकाई पर पहुंचा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर उपस्थित विक्रेता से स्वयं का आधार कार्ड, खाद्य रजिस्ट्रेशन पत्र मांगा जिस पर उन्होने फर्म मालिक का खाद्य अनुज्ञापत्र की छायाप्रति प्रस्तुत की है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर संस्थान का निरीक्षण करने पर आम जनता को Mustard Oil विक्रय हेतु रखा हुआ था। Mustard Oil में मिलावट का अंदेशा होने पर Mustard Oil 2 लीटर खरीदकर उसकी कीमत 240/– रुपये विक्रेता श्री दिनेश कुमार गुप्ता को नगद अदा कर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता दिनेश कुमार गुप्ता के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान विष्णु गर्ग के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म सं. 5ए की प्रतियाँ एवं फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे श्री दिनेश कुमार गुप्ता ने भी पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षरकिये। फार्म सं. 5ए की एक प्रति विक्रेता श्री दिनेश कुमार गुप्ता को देकर रसीद प्राप्त की। फार्म सं. 5ए एवं फर्द रिर्पोट न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा 02 लीटर Mustard Oil को विक्रेता एवं गवाहान को चार खाली साफ एवं सूखी प्लास्टिक की बोतले दिखाकर उक्त खरीदशुदा Mustard Oil को प्रत्येक बोतल में बराबर बराबर डालकर बोतलो को ढक्कन लगाकर ऐयरटाईट बन्द किया तथा लेबल तैयार कर प्रत्येक बोतल पर चिपकाये और लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के कोड एवं क्रमांक एच –3388 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर करायें चारों नमूना भागों को अलग–2 खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. H–3388 नियमानुसार चारों नमूना भागो [illegible] से कपड़ा तक गोलाई

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:09:21 IST
Reason: SelfAttested

गंगापुर सिटी

में गौद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवें। चारो नमूना भागो पर नियमानुसार गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने तस्दीक कर हस्ताक्षर किये तथा चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया। जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलग्न हैं। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. छः की छा प्रतियों तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। दो फॉर्म सं. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर मुख्य खाद्य विश्लेषक राजस्थान जयपुर को जमा कराकर फार्म स. 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर को जमा कराकर रसीदे प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024/1009 दिनांक 30.09.2024 के द्वारा ज्ञात हुआ कि मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जाच रिर्पोट सं. L-S-/3498/Act/2024/3318 Date 04–09–2024 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते नमूना जाँच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Mustard Oil Substandard & Extraneous Matter** होना पाया गया है। जॉच रिपोर्ट एवं पत्र न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा समस्त मूल पत्रावली अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत की जिस पर श्रीमान अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सवाई माधोपुर ने पत्र क्रमांक एफएसएसए/2024 / 1121 दिनाक 11:11.24 के द्वारा आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त केस मे न्यायनिर्णयन आवेदन फाईल करने हेतु प्राधिकृत किया है। पत्र की प्रति संलग्न आवेदन है।

अभियुक्तगण द्वारा खाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थ **Mustard Oil Substandard & Extraneous Matter** प्रकृति का विकय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लघंन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 में निर्धारित है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्तगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अभियुक्त की सम्यक् रूप से तामिल होने पर अभियुक्त दिनांक 16.02.2026, 20.02.2026 व 25.02.2026 को न्यायालय हाजा में उपस्थित नहीं हुआ। अतः पत्रावली में उपलब्ध देस्तावेजों के आधार पर गुणावगुण अनुसार पत्रावली का निस्तारण हेतु पत्रावली का अवलोकन व परीक्षण किया गया।

प्रार्थी पक्ष द्वारा उल्लेख किया गया कि खाद्य [illegible] खाद्य पदार्थ **Mustard Oil Substandard & Extraneous Matter** [illegible] का [illegible] कय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उप[illegible] (ii) का उल्लघंन किया है, जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 व 54 में निर्धारित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 17:09:21 IST
Reason: SelfAttested

अति[illegible] जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी
मु0नं0 39/24 (2024/93) उनवान सरकार बनाम दिनेश कुमार गुप्ता

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। मुख्य खाद्य विश्लेषक, राज, जयपुर से प्राप्त जाच रिर्पोट सं. **L-S-/3498/Act/2024/3318 Date 04-09-2024** निम्नानुसार है।

Government of Rajasthan
STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORYJAIPUR, (RAJASTHAN)
Mandir Marg Sethi Colony, Jaipur-302004
FORM-VII A
Test Report of the Food Analyst
[See rule 2.4.2(5) and 2.4.4(6)]

NABL C 8946

अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वा. अधिकारी सवाई माधोपुर 04-09-2024

Report No. L.S. / 3498/ Act / 2024 / 3318

Certified that I Pratibha Meena, Food Analyst duly appointed under the provisions of Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), for Rajasthan state received from Sh. Ved Prakash Purviya, Food Safety Officer O/O Chief Medical & Health Officer, Sawal Madhopur a sample of "Mustard Oil" bearing Code number and Serial number H-3388 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhpour area on 28-08-2024 for analysis.

The condition of seals on the container and the outer covering on receipt was as follows: The seals were intact and unbroken. The seals tallied with the specimen impression of the seal sent separately by the Food Safety Officer in sealed envelop by hand.

I found the sample to be "Fats, Oils and Fat Emulsions" falling under Regulation No. 2.2.1.6 of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additive) Regulations, 2011. The sample was in a condition fit for analysis and has been analysed on 30-08-2024 to 04-09-2024 and the result of its analysis is given below.

Analysis Report:-
(1) Sample description : - Sample is in a scaled and intact narrow mouth plastic bottle. (Sample collected from manufacturing unit as mentioned by Food Safety Officer in form No. VI).
(2) Physical appearance : - Deep yellow coloured oil, Blackish coloured suspended matter present.

Sl. No.	Quality Characteristics.	Name of the Method of the test used.	Results.	Prescribed standards as per (a) As per provisions of the Act, and the rules and regulations made thereunder. (b) As per label declaration for Proprietary food.
1.	Butyro-refractometer reading at 40.0°C.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF OILS ANDFATSPRODUCTS 2021 METHOD NO.FSSAI 02.003:2021:2021	60.2	58.0 to 60.5
2.	Saponification value.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF OILS ANDFATSPRODUCTS 2021 METHOD NO. FSSAI 02.007:2021:2021	175.09	168.0 to 177.0
3.	Iodine value.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF OILS ANDFATSPRODUCTS 2021 METHOD NO.FSSAI 02.010:2021:2021	110.26	96.0 to 112.0
4.	Acid value.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF OILS ANDFATSPRODUCTS 2021 METHOD NO.FSSAI 02.0009:2021:2021	2.14	Not more than 6.0
5.	Test for Argemone oil	FSSAI MANUAL OF METHODS OF OILS ANDFATSPRODUCTS 2021 METHOD NO. FSSAI 02.032:2021:2021	Negative	Negative
6.	Baudouin test.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF OILS ANDFATSPRODUCTS 2021 METHOD NO.FSSAI02.013:2021:2021	Negative	Negative
7.	Test for Mineral oil.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF OILS ANDFATSPRODUCTS 2021 METHOD NO. FSSAI 02.030:2021:2021	Negative	Negative
8.	Added colouring matter.	FSSAI MANUAL OF METHODS OF FOOD ADDITIVES 2016 METHOD NO. 4.0:2016	Absent.	Absent.
9.	Extraneous suspended matter	Visual Examination (by Naked Eye)	Blackish coloured suspended matter found present.	Absent.

Opinion: The sample of "Mustard Oil" bearing Code No. and Sr. No. H-3388 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur is Sub-standard as it does not conform to the prescribed standards of Food Safety and Standards (Food Products Standards and Food Additives) Regulations, 2011 due to presence of extraneous suspended matter.

Signed this 04th day of September 2024

ADDRESS: DESIGNATED OFFICER CUM
Chief Medical & Health Officer, Sawai Madhopur

Food Analyst
(Authorized Signatory)
PRATIBHA MEENA
FOOD ANALYST, RAJASTHAN
STATE CENTRAL PUBLIC HEALTH LABORATORY
JAIPUR, RAJASTHAN

Copy to, COMMISSIONER OF FOOD SAFETY
Commissionerate of Food Safety and Drug Control,
A-Block, Swasthya Bhawan, Jaipur, Rajasthan.

*** End of Report

Note : The results relate only to the item tested.

Signature Not Verified
Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:09:21 IST
Reason: SelfAttested

उक्त रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्त द्वारा विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **Mustard Oil Substandard & Extraneous Matter** प्रकृति का होना पाया गया है। उक्त रिपोर्ट के

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

अनुसार खाद्य पदार्थ Mustard Oil में Blackish coloures suspended matter foundpresent पाया गया है।

<u>what does Blackish coloured suspended matters indicates in Mustard oil:-</u>

"Blackish-coloured suspended matter in mustard oil primarily indicates contamination, poor filtration, or adulteration, suggesting that the oil is unrefined, impure, or of low quality.

Safety Warning: High-quality, edible mustard oil should be free from sediments or suspended matter. Consumption of oil contaminated with Argemone seeds or oil can lead to serious health issues, including epidemic dropsy, cardiovascular issues, or, in severe cases, death"

तदापि गुणावगुण पर सुनवाई उपरान्त सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाकर प्रकरण इस प्रकार निर्णित किया जाना उचित समझते है।

अतः अभियुक्त को खाद्य पदार्थ **Mustard Oil Substandard & Extraneous Matter** प्रकृति का विकय करने के कारण खाद्य सुरक्षा एंव मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 51 के तहत संयुक्त रूप से जुर्माना राशि 1,00,000 रूपये (अक्षरे– एक लाख रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। उक्त दण्ड की राशि अप्रार्थी आदेश तामील दिनांक से एक माह की अवधि में जरिये चालान 0210–04–800–03–00–25% STATE SHARE WHICH RECEVIED AGAINEST LICENCE FEE .में जरिये चालान जमा करवाकर रसीद पेश करें। पत्रावली को इसी स्तर पर निस्तारण किया जाता है। पत्रावली फैसल में शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। प्रकरण नम्बर से कम किया जावे। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

निर्णय आज दिनांक 26.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर, RAS)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, गंगापुर सिटी

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
गंगापुर सिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Sudarshan Singh Tomar
Date: 2026.04.20 11:09:21 IST
Reason: SelfAttested